पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स, (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899, E-mail adress:dirpanchayat@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक....03../10 / 2018

// आदेश //

क्रमांक/......14301......./ पं.रा /RGSA / 2018 -: "सबकी योजना सबका विकास" ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) अभियान (02 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018) में गतिविधियां समयसीमा में पूर्ण की जाना है, जिसमें मुख्यत: 21 से 28 तक बेसलाईन सर्वे तत्पश्चात 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक 02 विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाना है। इसकी सतत समीक्षा भारत सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश में भी इसे सुचारू रूप से पूर्ण कराने हेतु जिलों से अभियान के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जारी आदेश क्रमांक 13757-58 दिनांक 22.09.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री रतन श्रीवास्तव उपसंचालक के स्थान पर श्री इंदरसिंह ठाकुर संयुक्त संचालक को भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग आवंटित कर किया जाता है।

"सबकी योजना सबका विकास" अभियान के संबंध में तालिका में दर्शायी समयसीमा अनुसार समस्त गतिविधियों का संपादन सुनिश्चित किया जाना है :-

क्र	गतिविधियां	समयसीमा
1	ग्रामसभाओं का कैलेण्डर एवं ग्रामसभावार गतिविधिवार कैलेण्डर का निर्धारण।	10 सितंबर 2018
2	ग्राम पंचायतों में फेसिलिटेटर/सुविधा प्रदाता की नियुक्ति एवं शेष नियुक्ति।	10 सितंबर 2018
3	फेसिलिटेटर/CRPs/GRS का प्रशिक्षण एवं शेष लंबित प्रशिक्षण।	17 से 20 सितंबर 2018
3	ग्राम पंचायतों का बेसलाईन सर्वे एवं मिशन अन्त्योदय एप एवं पोर्टल पर अपलोडिग।	21 से 28 सितंबर 2018
4	लाईन विभागों के फंटलाईन वर्कर/अग्रिम पंक्ति की नियुक्ति। कार्ययोजना का निर्माण।	15 सितंबर 2018 21 से 28 सितंबर 2018
5	MA App/GPDP Portal हेतु जिला/जनपद प्रभारियों की नियुक्ति	06 सितंबर 2018
6	सार्वजनिक सूचना पटल (बोर्ड) का निर्माण, प्रदर्शन और पोर्टल पर इसकी जियोटैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना।	15 सितंबर 2018
7	02 अक्टूबर की ग्रामसभा एवं ग्रामसभा का ऐजेण्डा	02 अक्टूबर 2018
8	02 अक्टूबर एवं इसके पश्चात 31 दिसबर 2018 तक 02 विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन एवं इसके पश्चात बैठक/जानकारियों का जियोटैग एवं विजुअल अपलोड।	ग्रामसभा के संचालन के तुरंत बाद
9	GPDP कार्ययोजना निर्माण एवं प्लान-प्लस अनुप्रयोग पर अनुमोदितयोजना का प्रकाशन	31 दिसंबर 2018

अत: उपरोक्तानुसार गतिविधियों में 02 अक्टूबर 2018 तक संपादित की जाने वाली गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसकी सतत मॉनिटरिंग की जावे एवं संलग्न मार्गदर्शिका/निर्देश पत्र/टाईमलाईन अनुसार समयसीमा में गतिविधियों का जिले में क्रियान्वयन करायेंगे एवं अनुश्रवण कर प्रगति से अवग्त करायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(शमीम उद्दीन)
संचालक (IAS)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्र......14302......पं.रा /RGSA / 2018 भोपाल, दिनांक...03.../10/ 2018

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रा.वि.विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला- समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला- समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री .... की ओर पालनार्थ।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल